

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

A2

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

कालुलाल बनाम जाधुलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 229 / 2021 प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<u>29/11/2021</u>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कालुलाल - रमेश s/o शंकरलाल जी कुमावत</u> श्रीमती रमेश <u>श्रीमती रमेश</u> w/o <u>शंकरलाल जी कुमावत</u></p> <p>निवासी- <u>सावा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सावा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>468, 469, 477</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> कुल रकबा <u>0.4100</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सावा</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>468, 469, 477</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> रकबा <u>0.4100</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500 = 00</u> रुपये अक्षरे <u>पाँच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> 